

**12 साल बाद देखिये
सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी-2009
का कड़वा सच!!!**

योजना बद्दहाल, बिल्डर मालामाल, गरीब फिर बेघरबार!!!

**मेजेस्टिक रियलमार्ट प्रा. लि. द्वारा कलवाड़ा, महेन्द्रा सेज, जयपुर
में EWS, LIG, MIG-A कैटेगिरी के तहत बनाई गयी
960 फ्लेटों की आवासीय योजना में महज 120 परिवारों का ही रहा निवास!!!**

12 साल में ही चकनाचूर हुए गरीबों के छत के सपने!!!

**जर्जर दिवारें, झड़ता प्लास्टर, टूटी खिड़की-दरवाजे, कबाड़ के ट्रांसफार्मर,
सुने पड़े फ्लेट बयान कर रहे, सरकारी योजनाओं की जमीनी हकीकत!!!**


**मेजेस्टिक रियलमार्ट प्रा. लि. द्वारा कलवाड़ा, महेन्द्रा सेज, जयपुर
में बनाई गयी 960 फ्लेटों की आवासीय योजना का नंगा सच!!!**

2009 मे राजस्थान सरकार द्वारा लायी गयी थी अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी-2009

वर्ष 2009 मे तत्कालीन राजस्थान सरकार द्वारा गरीब और निम्न आय वर्ग के परिवारों को आवास दिलाने के उद्देश्य से अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी-2009 लायी गयी थी, जिसमे पहली बार प्रत्येक बिल्डिंग प्रोजेक्ट मे गरीब और निम्न आय वर्ग के परिवारों के लिए आवास बनाने सुनिश्चित किए गए थे, फिर वह चाहे सरकारी प्रोजेक्ट हो या फिर प्राईवेट प्रोजेक्ट। इस पॉलिसी के तहत प्राईवेट बिल्डर को भी सरकारी जमीन पर बिल्डिंग बनाने के लिए अधिकृत किया गया था। जिसके लिए उसे मुफ्त मे सरकारी जमीन भी दी जानी थी। इस पॉलिसी के तहत बनने वाले प्रोजेक्टो मे EWS/LIG केटेगिरी के लिए अधिकतम फ्लेट/मकान बनाए जाने थे। ऐसे प्रोजेक्टो मे EWS केटेगिरी के लिए 325 वर्ग फीट के आवास का निर्माण किया जाना था जिसकी कीमत 2.40 लाख रखी गयी थी, इसमे से 50 हजार सरकारी सब्सिडी दी जानी थी और बाकी कि 1.90 लाख रुपए की कीमत उपभोक्ता द्वारा दिये जाने थे। इसी प्रकार LIG

केटेगिरी के लिए 500 वर्ग फीट के आवास का निर्माण किया जाना था जिसकी कीमत 3.75 लाख रखी गयी थी, इसमे से 50 हजार सरकारी सब्सिडी दी जानी थी और बाकी कि 3.25 लाख रुपए की कीमत उपभोक्ता द्वारा दी जानी थी, इसी तरह MIG-A केटेगिरी के लिए 600 वर्ग फीट के आवास का निर्माण किया जाना था

जिसकी कीमत 6.00 लाख रखी गयी थी, लेकिन इसमे किसी प्रकार की सरकार सब्सिडी उपलब्ध नहीं थी।



S. No.	Category	Super built up area sq.ft.	Construction cost to be paid to builder w.r.t. super built up area	Amount Lacs (rounded off)	Part Subsidy amount given by GOI to be passed on to beneficiary Presently for Jaipur, Ajmer, Pushkar, Kota, Jodhpur and Bikaner	Sale value allowed to be charged to beneficiaries (rounded off) Presently for Jaipur, Ajmer, Pushkar, Kota, Jodhpur and Bikaner
1	2	3	4	5	6	7
(i)	EWS	325	750	2.40	0.50	1.90
(ii)	LIG	500	750	3.75	0.50	3.25
(iii)	MIG-A	600	To be decided by developer/ULB (upper limit Rs. 1000/-)	6.00	-	6.00

Detail of Affordable Housing Programme (AHP -RAY)

S.No.	Name of Projects & Location	Concerned ULB/DA	DUs as per DPR	Taken Up	Allotted	Completed	Possession	Remarks
1.	Sintax Industries Pvt. Ltd. , Narsinghpura, Ajmer Road, Jaipur	JDA	432	432	432	432	432	Scheme HO to JDA
2.	Vinkas Estate Pvt. Ltd., Mukundpura, Ajmer Road, Jaipur	JDA	512	512	512	512	512	Scheme HO to JDA
3.	Bhairav Township Pvt. Ltd, Kalwar Road, Jaipur	JDA	576	576	576	576	576	Scheme HO to JDA
4.	Majestic Realmart Pvt. Ltd, Kalwada, Mahapura SEZ, Jaipur	JDA	960	960	960	540	0	Letter has been sent to JDA for HO of 288 Dus. 420 Dus are near completion
5.	Siddha Infra Project Pvt. Ltd, Bagru Kurd, Ajmer Road, Jaipur	JDA	400	400	400	400	400	Scheme HO to JDA
6.	Shiv Shakti Homes Pvt. Ltd., Omex City, Thikaariya, Ajmer Road, Jaipur	JDA	704	704	704	704	704	Scheme HO to JDA
7.	Regency Buildhome LLP, Vatika Village, Tonk Road, Jaipur	JDA	1120	1120	1120	1120	1120	Scheme HO to JDA
8.	Shidhi Vinayak, Nevata, Mahapura, SEZ, Jaipur	JDA	1072	1072	1072	1072	0	Letter has been sent to JDA for HO of 1072 Dus.
Total			5776	5776	5776	5316	3744	

योजना के तहत जेडीए द्वारा 8 बिल्डरों के साथ बनाए गए थे 5776 फ्लेट्स

इस पॉलिसी के तहत जेडीए द्वारा 8 बिल्डरों के साथ PPP मोड में 5776 बनाए गए थे, जिनमें सिटेक्स, भैरव, सिद्धा, शिव शक्ति सिद्धि विनायक, वीकस, रिगेंसी और मेजेस्टिक नाम शामिल थे। पॉलिसी के अनुसार जेडीए द्वारा इन बिल्डरों के साथ उच्च गुणवत्ता के फ्लेट बनाने की शर्त रखी थी, जिसमें 5 साल तक बिल्डिंग का मेंटीनेंस भी शामिल था।

मेजेस्टिक रियलमार्ट प्रा. लि. द्वारा कलवाड़ा, महेन्द्रा सेज, जयपुर में बनाई गयी 960 फ्लेटों की आवासीय योजना का नंगा सच!!!

जैसा कि अक्सर सरकारी योजनाओं का बुरा हथ्र होता आया है वही हथ्र सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी का भी हुआ। इसकी जमीनी हकीकत देखनी हो तो आप मेजेस्टिक रियलमार्ट प्रा. लि. द्वारा कलवाड़ा, महेन्द्रा सेज, जयपुर में बनाई गयी 960 फ्लेटों की आवासीय योजना का देख सकते हैं, जयपुर के नामी बिल्डर श्री एसएन गुप्ता द्वारा बनाई गयी इस योजना के 960 फ्लेटों में महज 120 परिवार ही निवास करने की हिम्मत जुटा पाये हैं, जबकि सरकारी आंकड़ों में इस योजना में सभी 960 फ्लेटों को बेचा जाना बताया जा रहा है। इस योजना में रह रहे 120 परिवार भी मजबूरी में रहने को विवश हैं और दिन रात सरकार को कोसते हुए किसी चमत्कार की उम्मीद में अपने दिन काट रहे हैं। वर्ष 2015 में बिल्डर द्वारा इन फ्लेटों का पजेशन फ्लेटधारकों को दिया जा चुका है। लेकिन इन चंद सालों में ही यह योजना जर्जर अवस्था में आ चुकी है। इस योजना में जहां 960 गरीब/निम्न आय/मध्यम वर्ग के परिवारों के करोड़ों रुपए मिट्टी में मिल गए वहीं बिल्डर करोड़ों रुपए कमा कर चैन की बंसी बजा रहा है।



जले हुए और पुराने ट्रांसफार्मर को लगाया गया गरीबों की बस्ती में





उखड़ता प्लास्टर, गायब होता फर्श और टूटे-फूटे दरवाजे



जर्जर दिवारे, झड़ता प्लास्टर, टूटी खिड़कियाँ-दरवाजे, कबाड़ के ट्रांसफार्मर, सुने पड़े फ्लेट बयान कर रहे, सरकारी योजनाओं की जमीनी हकीकत!!!

इस योजना का यदि कोई जिम्मेदार और ईमानदार अधिकारी मुआयना कर ले तो भ्रष्टाचार की बुनियाद पर बनी इस योजना पर अपने खून के आँसू बहाने से नहीं रोक पाएगा परंतु अफसोस है कि ऐसा कोई जिम्मेदार और ईमानदार अधिकारी इस योजना का निरीक्षण करने आज तक पहुंचा ही नहीं, जो पहुंचे भी है तो बिल्डर से उपकृत होकर वापस अपने चेम्बर में आकर बैठ गए। लेकिन इस योजना की जर्जर दिवारे, झड़ता प्लास्टर, टूटी खिड़कियाँ-दरवाजे, कबाड़ के ट्रांसफार्मर, सुने पड़े फ्लेट आज भी सरकारी योजनाओं की जमीनी हकीकत बयान कर रहे हैं।

योजना के पास बिल्डर द्वारा लायी जा रही आलीशान योजना मेजेस्टिक हाईट्स

जहां यह योजना गरीब और निम्न आय वर्ग के परिवारों के खून-पसीने की कमाई को सुरसा के मुख की तरह निगल चुकी है। वही बिल्डर इस योजना को बनाने की एवज में मिली जमीन पर अमीरों के आशियाने बनाने की जुगत में नजर आ रहा है। बिल्डर द्वारा



इस जमीन पर मेजेस्टिक हाईट्स के नाम से एक योजना को भी परवान चढ़ा दिया है।

जवाब मांगते सवाल?

1. करोड़ों खर्च करने के बाद भी 960 फ्लेटों में से महज 120 परिवारों का निवास, क्या इस योजना की असफलता को नहीं दर्शाता?
2. क्या सरकार इस योजना की बदहाली का हिसाब बिल्डर से मांगेगी?
3. इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए बिल्डर को क्या क्या रियायते, भुगतान जेडीए द्वारा किया गया था?
4. प्रोजेक्ट की गुणवत्ता के लिए क्या मानदंड रखे गए थे? क्या बिल्डर द्वारा उन मानदंडों को पूरा किया जा रहा है?
5. बिल्डर द्वारा इस प्रोजेक्ट की मेंटीनेंस पर कितना रुपया खर्च किया गया है?
6. घटिया क्वालिटी से बनी इस योजना में कोई हादसा हो गया तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? जेडीए के अधिकारी, बिल्डर या फिर हमेशा चुप रहे वाला खुद उपभोक्ता?
7. शहर से 20 किलोमीटर दूर गरीबों के आवास बनाने के पीछे सरकार की क्या मंशा थी?
8. क्या यह 960 परिवारों के साथ सीधे-सीधे ठगी नहीं है?
9. इस योजना के बदले मिली जमीन पर बनने वाले प्रोजेक्ट मेजेस्टिक हाईट्स की हकीकत क्या है?
10. इस प्रोजेक्ट को बनाने वाले बिल्डर के विरुद्ध ठगी, धोखाधड़ी, जालसाजी के कितने मुकदमे दर्ज हैं?

एसएनजी ग्रुप के सत्यनारायण गुप्ता के खिलाफ करोड़ों की धोखाधड़ी के 4 मामले दर्ज

एक करोड़ की ठगी में एसएनजी ग्रुप का निदेशक गिरफ्तार